UPSR010013792026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 550/2026

1– होलीराम उम्र करीब 56 वर्ष पुत्र सुखराम,

2– बडेलाल उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र मंशाराम,

3– लल्लू उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र होलीराम,

4– जगप्रसाद उम्र करीब 52 वर्ष पुत्र देवतादीन साकिनान गोहनिया थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती ।

————————प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ——————————अभियोगी।

अपराध संख्या 300/2024
अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0
व धारा 3 (1) (द) (ध) व 3 (2)
(va)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र जमानत</u>

<u>दिनांक 18–07–2026</u>

यह जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र ई–फाइलिंग के उपरान्त इस न्यायालय को दिनांक 03–07–2026 को प्राप्त हुआ।

अभियुक्तगण होलीराम, बड़ेलाल, लल्लू व जगप्रसाद की ओर से आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण होलीराम, बड़ेलाल, लल्लू व जगप्रसाद की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 300/2024 अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (द) (ध) व 3 (2) (va)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट एक्ट थाना

कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय पर न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

वादी मुकदमा उपस्थित है और उसकी तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

जमानत आवेदन पर विद्वान ए0डी0जी0सी0 व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा अनुसूचित जाति धोबी है। विपक्षीगण गैर अनुसूचित जाति कुर्मी हैं। घटना दिनांक 06–05–2024 समय करीब 7.30 बजे शाम की है प्रार्थिनी का पति मोटर साइकिल से आकर अपने घर के सामने रूका कि विपक्षी मंशाराम जो कि घर के बगल के रहने वाले हैं अचानक साइकिल जानबूझ कर लाकर प्रार्थिनी के पति के शरीर में भिड़ा दिया। पुरानी रंजिश के कारण सभी विपक्षीगण एकराय होकर प्रार्थिनी के पति को हरिजन धोबी साले मां बहन की गाली देने लगे। प्रार्थिनी ने गाली देने से मना किया तब विपक्षीगण भददी–भददी जातिसूचक गाली देते हुए लाठी, डण्डा, लात मुक्का थप्पउ़ से मारने लगे तथा प्रार्थिनी की धोती खींच कर प्रार्थिनी को नंगी कर दिया और प्रार्थिनी बेइज्जत हो गयी। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति के शरीर पर गम्भीर चोटें आयी हैं। शोर सुनकर तीरथराम व रामधीरज व गांव के अन्य लोग आ गये और बीच बचाव कराया। विपक्षीगण जाते समय धमकी दिये कि किसी दिन बुरा काम करके जान से मार देंगे।

अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के पिता पुत्र भाई भतीजा है पूरे परिवार को बरसाती पाने के निकास को लेकर रंजिशन मुकदमा कायम कराया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष है। उन्होने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाये।

विद्वान ए0डी0जी0सी0, वादिनी मुकदमा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में लिये गये आधारों पर तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गयी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा घटना की तिथि समय व स्थान पर अवैध मजमा बनाते हुए वादी पक्ष को मारा पीटा गया, गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी तथा जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर उसे जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया गया। दूसरी ओर अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि मात्र पानी के निकास को लेकर विवाद में अभियुक्तगण को झूठे तथ्यों के आधार पर फंसा दिया है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं

किया है। प्रस्तुत मामले मे अभियुक्तगण का कोई आपराधिक अभियोजन की ओर से नहीं बताया गया है। अभियुक्तगण पर आरोपित धाराओ में अधिकतम 07 वर्ष के दण्ड का प्रावधान है। अभियुक्तगण पूर्व में अन्तरिम जमानत पर थे, उन्होने अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। जहां तक वादिनी की आपत्ति का प्रश्न है तो विचारणीय नहीं है क्योंकि मामले का निस्तारण इस स्तर पर गुण दोष पर नहीं किया गया जाना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण होलीराम, बड़ेलाल, लल्लू व जगप्रसाद प्रत्येक द्वारा 50–50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें इन शर्तो के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है कि वे विचारण के दौरान साक्षियों को न तो डरायेंगे न धमकी देंगे तथा विचारण की कार्यवाही बाधित नहीं करेंगे।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
श्रावस्ती।